



NCCT CO-OP **NEWS BULLETIN**



Date: 14.02.2024

Sr No	Date	Publication	Edition	Page no.
1.	13-02-2024	Manus Khabar	Patna	8
2.	13-02-2024	Shwet Patra	Patna	4
3.	13-02-2024	Sanmarg	Patna	4
4.	14-02-2024	Aaj	Patna	9
5.	14-02-2024	Pratah Kamal	Patna	5
6.	14-02-2024	Jagruk Express	Patna	5

Publication:	Manus Khabar, Pg 8	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 13, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलों भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24×7 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गित से निपटान कर रहा है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सुचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)। में पहले स्थान पर रखा गया है। साथ ही सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों में न्यूनतम निपटान समय के साथ (2 दिन) सर्वोच्च स्थान पर स्थित रहा। भारत सरकार ने सीपीग्राम्स को नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार किया है।

Publication:	Shwet Patra, Pg 4	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 13, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने २०२३ में ३६,००० से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24×7 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गित से निपटान कर रहा है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)।

Publication:	Sanmarg, Pg 4	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 13, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24×7 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गति से निपटान कर रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)। में पहले स्थान पर रखा गया है।

Publication:	Aaj, Pg 9	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 14, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने २०२३ में ३६,००० से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने कंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रिय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24×7 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गित से निपटान कर रहा है।

Publication:	Pratah Kamal, Pg 5	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 14, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया


पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओ से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24×7 उपलब्ध है। सहकारिता मंत्रालय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सिक्रयता से निवारण कर रहा है और मामलों का त्वरित गति से निपटान कर रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिसंबर 2023 महीने की सीपीग्राम्स रिपोर्ट के अनुसार, सहकारिता मंत्रालय को 0.747 की उच्चतम शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (ग्राइ) के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों (जहां 500 से अधिक कुल शिकायतें प्राप्त होती हैं)। में पहले स्थान पर रखा गया है।

Publication:	Jagruk Express, Pg 5	Edition: Patna	Print
Published Date:	February 14, 2024		

सहकारिता मंत्रालय ने 2023 में 36,000 से अधिक शिकायतों का निवारण किया

पटना। सहकारिता मंत्रालय ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) के माध्यम से वर्ष 2023 के दौरान कुल 36,008 शिकायतों का निवारण किया है, जो नागरिकों को सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, मंत्रालय को शिकायतों के खिलाफ 8,945 अपीलें भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी सिक्रय रूप से जांच की गई है और 2 दिनों के औसत समापन समय के साथ निपटारा किया गया है, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को सूचित किया। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की स्थापना (सीपीग्राम्स) एक ऑनलाइन मंच के रूप में की है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं से संबंधित किसी भी विषय पर अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 उपलब्ध है।

LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES





NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA) 3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016





011-41096510 🔯 secy-ncct@gov.in



www.ncct.ac.in